24

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : देवेन्द्र कुमार आई०ए०एस०

अपील संख्या0 APS2012G280126931866/2026 14/2026

मिस्किन अलिसा पुत्र तलकीन अलीसा, दुपालिया दरगाह, बसवा, जिला दौसा

.......अपी०

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांदीकुई

रेस्पो०

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई

निर्णय

दिनांक 13.03.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के दुपालिया दरगाह, बसवा क्षेत्र की मतदाता सूची मे जोडने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S2008506N1601261200002) प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई द्वारा प्रारूप 6 के साथ घोषणा पत्र संलग्न न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई के उक्त आदेश दिनाक 27.01.2026 से व्यथित होकर अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपील के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई से इस न्यायालय के पत्रांक 1614 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई के पत्रांक 142 दिनांक 13.03.2026 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 1 पर बताया गया कि उक्त प्रार्थी के नाम वर्ष 2014 की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या 522 पर अंकित मिसकिनशाह पर आपत्ति प्राप्त हुई। वर्ष 2015 में बाद जांच छद्म दस्तावेजों के आधार पर अंकित करवाये गये मिसकिन अली शाह के नाम को मतदाता सूची से पृथक किया गया था।

प्रकरण मे बिन्दु संख्या 2 पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा वर्ष 2019 में पुनः पंचायत मतदाता सूची में छद्म नाम से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुडवाने का प्रयास किया गया। जिस पर प्ररूप 1 में प्रगणक द्वारा जांच में नाम जोडने योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर दावा खारिज कर दिया गया।

प्रकरण मे बिन्दु संख्या 3 से 6 पर प्राप्त [illegible] सारांशतः अपीलांट द्वारा छद्म दस्तावेजी आधार पर जारी कराये गये मूल निवास [illegible] 19217164377 दिनांक 28.08.2019 को तहसीलदार बसवा के आदेश [illegible] द्वारा खारिज कर दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की शर्तेः–

Conditions of registration.--Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who — (a) is not less than 3[eighteen years] of age on the qualifying date, and

(b) is ordinarily resident in a constituency, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.

उपरोक्त शर्तों के विवेचन के आधार पर अपीलांट का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण निवास प्रमाणित नहीं होता हैं तथा नाम जोडने के आवेदन प्रपत्र 6 के संलग्न घोषणा पत्र जो कि आवेदन का भाग हैं संलग्न नहीं किया हैं। अतः आवेदन पत्र प्रपत्र 6 अपूर्ण एवं निवास प्रमाणित नहीं होने के कारण अपीलांट का नाम मतदाता सूची में नहीं जोडा गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) बांदीकुई का निर्णय दिनांक 27.01.2026 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 13.03.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested